

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 23/12/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 23/12/2024 को दोपहर 02:00 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती हेमलता हेदाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री विवेक चौधरी, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नौएडा।
5. श्री मयंक जैन, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 23/12/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 23/12/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 23/12/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) गोपाल एरोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।।

20/1/25

2.1 कंपनी के निदेशक श्री मनोज गुप्ता और जीएम वित्त श्री संजय कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में वे घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि निकोटीन पाउच का सही आईटीसी (एचएस) कोड 24049100 है।

2.2 यह सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जिन्हें आवेदक द्वारा ठीक किया जाना अपेक्षित है।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स गोपाल एरोमेटिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित अधिकृत कार्यों अर्थात् "(i) चबाने वाले तम्बाकू (24039910) (100 टन/वर्ष); (ii) फिल्टर खैनी (24039910) (20 टन/वर्ष); (iii) निकोटीन पाउच (24049100) (10 टन/वर्ष) का विनिर्माण" के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन फ़ाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(3) सायन जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

3.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जिन्हें ठीक किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा समिति को यह भी सूचित किया गया कि आवेदक द्वारा दूसरे निदेशक/प्रवर्तक श्री सायन बेरा के संबंध में कोई आईटीआर/आय विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और पृष्ठ संख्या 18 पर कार्यसूची में दर्शाई गई दूसरे प्रवर्तक की आय लेखन के कारण गलती से दर्शाई गई है। समिति ने लेखन पर ध्यान दिया।

3.2 कंपनी के निदेशक श्री सैकत बेरा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में उनकी पहले से ही बेरा एंटरप्राइज नाम से एक इकाई है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में उनके पास केवल हस्तनिर्मित आभूषणों के लिए निर्यात ऑर्डर हैं।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित अधिकृत परिचालनों के लिए मेसर्स सायन जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

"निर्माण -

- (i) हस्तनिर्मित सादे चांदी के आभूषण (71131141) (300 किलोग्राम/वर्ष)
- (ii) हस्तनिर्मित कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े चांदी के आभूषण (71131145) (200 किलोग्राम/वर्ष)
- (iii) हस्तनिर्मित सादे सोने के आभूषण (71131911) (500 किलोग्राम/वर्ष)
- (iv) हस्तनिर्मित हीरे जड़े सोने के आभूषण (71131913) (120 किलोग्राम/वर्ष)

डि.र.जी. को

(v) हस्तनिर्मित कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े सोने के आभूषण (71131915) (240 किलोग्राम/वर्ष)"

यह अनुमोदन फ़ाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेज़ों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(4) ला मोडा एलेगेंज़ा - स्वीकृति पत्र (LOA) की समीक्षा।

4.1 यह सूचित किया गया कि इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 24/08/2023 को समाप्त हो गया था। इसके अलावा, इकाई ने आज तक 07/11/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुपालन में नई व्यावसायिक योजना, निर्यात आदेशों की प्रति और ऑनलाइन फॉर्म-एफ 1 आदि जमा नहीं किया है। इसके अलावा, इकाई के खिलाफ 22,43,051/- रुपये (7 तिमाहियों) का पट्टा किराया भी बकाया है।

4.2 यह भी बताया गया कि इकाई और इसके संस्थापक के खिलाफ विभिन्न व्यक्तियों/शिकायतकर्ताओं से विभिन्न आरोप प्राप्त हुए हैं। विभिन्न विभागों और एजेंसियों की टिप्पणियां मांगी गई हैं और अभी भी उनकी प्रतीक्षा है।

4.3 इसके अलावा अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि संस्थापक श्री शरद गुप्ता ने अपने ईमेल दिनांक 20.12.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि वह अदालत में पेश होने के लिए 23/12/24 को मुंबई जा रहे थे, इसलिए उन्होंने अगली सुविधाजनक तारीख देने का अनुरोध किया था।

4.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि इकाई के साथ-साथ अन्य विभागों/ संस्थाओं/बैंक को संबंधित मुद्दों पर अनुपालन/शीघ्र उत्तर के लिए अनुस्मारक भेजा जाए।

(5) ओमनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 इकाई की अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री निधि माहेश्वरी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कंपनी ने नोएडा के सेक्टर-3 में अपना कार्यालय बनाया है और सभी परिचालनों को केंद्रीकृत करना चाहती है। इसलिए, उन्होंने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में अपनी इकाई को बंद करने का फैसला किया है।

5.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पांच वर्षों के दूसरे ब्लॉक (03/02/2017-02/02/2022) और तीसरे ब्लॉक (2024-25 तक) के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे ध्यान दिया कि आज की तारीख तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है। अनुमोदन समिति ने फ़ाइल पर अंतिम विकास अनुरोध पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

(6) एमईसी ग्लोबल - स्वीकृति पत्र (LOA)/ बांड सह कानूनी उपक्रम (बीएलयूटी) की वैधता में विस्तार और विकास के उद्देश्य से व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की अनुमति देने का अनुरोध।

20/01/25

6.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धनपत ओस्तवाल और श्री के पांडे अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री ओस्तवाल ने बताया कि उनके पास नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) परिसर में कुछ मशीनरी और व्यापारिक सामान पड़ा हुआ है, जिसे बाहर निकलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हटाया जाना आवश्यक है। हालांकि, उनका स्वीकृति पत्र (LOA) केवल 31.12.2024 तक वैध है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास कोई निर्यात आदेश नहीं है, इसलिए, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में व्यापारिक सामान हटाने की अनुमति दी जा सकती है।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA)/बीएल्यूटी की वैधता में 31.03.2025 तक की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी, ताकि इकाई द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा किया जा सके, इस शर्त के अधीन कि इस विस्तारित अवधि के दौरान कोई नया आयात/घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) के अनुसार खरीदे गए स्टॉक में व्यापारिक सामग्री की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और परियोजना अनुभाग को अंतिम मंजूरी देने से पहले भुगतान के तरीके (घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में ऐसी बिक्री के लिए इकाई द्वारा प्राप्त किया जाना) पर व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के मामले में कानूनी राय प्राप्त करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त कार्यालय, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को फाइल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी दिया।

(7) नैट्रॉन इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

7.1 इकाई के निदेशक श्री कृपा राम शर्मा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि पेय पदार्थ उपकरण और संबंधित भागों के लिए उनके पास कई देशों में एक मजबूत ग्राहक आधार है, जो उनके निर्मित उत्पाद रेंज का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि उनके ऑर्डर में अक्सर कई उत्पाद और भाग शामिल होते हैं। व्यापारी व्यापार को शामिल करके, वे एक ही स्थान से सभी निर्यात ऑर्डर प्रबंधित करने में सक्षम होंगे, जो उनके संचालन को बहुत सुव्यवस्थित करेगा।

7.2 यह बताया गया कि इकाई को संशोधित विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट सही ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, इकाई द्वारा समेकित प्रक्षेपण (विनिर्माण और व्यापार) के साथ-साथ व्यापार के लिए अलग-अलग अनुमान भी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, कार्यसूची नोट के साथ संलग्न सूची के अनुसार 106 मदों की व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। व्यापारिक गतिविधियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:

- (i) व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।



- (ii) इकाई विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए रखेगी और विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए निवल विदेशी मुद्रा (NFE) के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।
- (iii) विनिर्माण गतिविधि और व्यापारिक गतिविधि के लिए निवल विदेशी मुद्रा (NFE) स्थिति को अलग-अलग देखा जाएगा।
- (iv) इकाई व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में धारा 2(जेड)(iii) का अनुपालन करेगी।

यह स्वीकृति फाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

(8) कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - बड़े हुए विद्युत भार के विरुद्ध विद्युत कनेक्शन बुनियादी ढांचा के लिए आईजीएसटी छूट का अनुरोध।

8.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्लॉट संख्या 57एबीसी, 10 और 11, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नौएडा, यूपी-201 305 में स्थित अपनी इकाई के लिए विद्युत भार को मौजूदा 2,900 केवीए से बढ़ाकर 3,900 केवीए करने के लिए पीवीवीएनएल/यूपीपीसीएल से अनुरोध किया था, जिसे विद्युत विभाग ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सबस्टेशन के रूप में भंगेल एक्सटेंशन सबस्टेशन में इसके लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि वे पीवीवीएनएल/यूपीपीसीएल की देखरेख में अपने ठेकेदार के माध्यम से काम करवाने का विकल्प चुन रहे हैं और इसके लिए एक ठेकेदार को काम भी दिया गया है और काम की अनुमानित लागत आईजीएसटी को छोड़कर लगभग 4.55 करोड़ रुपये है।

8.2 पूछे जाने पर इकाई प्रतिनिधि ने बताया कि अधिकांश सामग्री जैसे केबल, पाइप, पोल, जॉइंटर आदि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के बाहर स्थापित किए जाएंगे, लेकिन केवल नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के अंदर स्थित उनकी इकाई के लिए समर्पित विद्युत लाइन के लिए ही स्थापित किए जाएंगे।

8.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के अंदर और बाहर विद्युत कनेक्शन बुनियादी ढांचे की कुल आवश्यकता का लागत विभाजन/विभाजन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालांकि, यह देखते हुए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बाहर बुनियादी ढांचे का उपयोग केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) संचालन के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, अनुमोदन समिति ने महसूस किया कि रियायतों के संदर्भ में इसे तदनुसार व्यवहार करने में योग्यता थी। अनुमोदन समिति की उपरोक्त सिफारिश के साथ प्रस्ताव को उनके विचार के लिए डीओसी को भेजने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक कार्यसूची:

2016

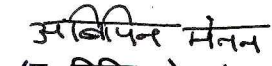
(9) सीक्वेल अलॉयज एंड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

9.1 श्री असित कुमार, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने बताया कि ताँबा सल्फेट क्रिस्टल/पाउडर ताँबा आच्छादित इस्पात की विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। चूंकि यह एक उप-उत्पाद है और इसका कोई निर्यात क्षमता नहीं है, इसलिए इसे घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में बेचा जाएगा। उन्होंने समिति को बताया कि उप-उत्पाद आईटीसी एचएस कोड 28332500 के अंतर्गत आता है।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में उप-उत्पाद यानी "कॉपर सल्फेट क्रिस्टल/पाउडर (28332500)" की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान की, बशर्ते ऐसी बिक्री पर लागू सभी शर्तों का अनुपालन किया जाए।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त